2021: CGHC:18738

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सुरक्षित दिनांक: 20/07/2021
घोषित दिनांक: 27/08/2021

डब्ल्यू० पी०सी०आर० क्रमांक 12 / 2019

1. भूपेश गोयल, पिताबसंत गोयल, उम्र 27 वर्ष
निवासी: गोयल निवास, पटेल धर्मशाला के पास, गया नगर, दुर्ग,
थाना एवं जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़।

2. हेमंत @ हरीश गोयल, पिता बसंत गोयल, उम्र 30 वर्ष
निवासी: गोयल निवास, पटेल धर्मशाला के पास, गया नगर, दुर्ग,
थाना एवं जिला - दुर्ग, छत्तीसगढ़।

---- याचिकाकर्तागण

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।
2. थाना प्रभारी, पुलिस थाना दुर्ग, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़।
3. यशवंत जैन, पिता स्वर्गीय सोहन लाल जैन, निवासी- नेहा फैंसी स्टोर के सामने, आकृति विहार, अमलीडीह, पुलिस थाना राजेंद्र नगर, रायपुर, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़।

---- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ताओं की ओर से:- श्री तारेंद्र कुमार झा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से: श्री राकेश साहू, उप शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से: श्री बी.पी. गुप्ता, श्री अशोक कुमार वर्मा और श्री गजेन्द्र प्रसाद साहू, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास

पीठ पर पारित आदेश

1. याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली, दुर्ग में दर्ज किए गये प्रथम सूचना प्रतिवेदनक्रमांक 739/2018 को चुनौती दी गई है,जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा

420/34 सहपठित धारा 63 प्रतिलिप्याकार अधिनियम, 1957 और व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 29 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई, जिसे आपराधिक प्रकरण क्रमांक 36770/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया है। पुलिस ने 30.11.2018 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मामला संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, उत्तरदाता क्रमांक 3, जो 'जैन चुस्की चाय'का मालिक हैं, ने 14.09.2018 को पुलिस स्टेशन सिटी कोतवाली, दुर्ग में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता अपने उत्पादों को 'गोयल चुस्की चाय'के नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रतिलिप्याकार अधिनियम का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता उनके नाम का उपयोग कर रहे हैं जबकि वह व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत नहीं हैं। इससे उन्हें आर्थिक हानि हो रही है, इसलिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई है। 'जैन चुस्की चाय'व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार और प्रतिलिप्याकार रजिस्ट्रार के साथ क्रमशः प्रतिलिप्याकार पंजीकरण संख्या 87652/2009 दिनांक 26.11.2009 और व्यापार चिन्ह संख्या 2109668 दिनांक 04.03.2011 के रूप में पंजीकृत है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के गोदाम पर छापा मारा, जहां 'गोयल चुस्की गोल्ड'के नाम से मुद्रित रैपरों में भरी हुई चायपत्ती जब्त की गई। पुलिस ने आरोपियों के बयान दर्ज किए और पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रतिलिप्याकार अधिनियम की धारा 63 और व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 29 का उल्लंघन हुआ है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 34 के साथ प्रतिलिप्याकार अधिनियम, 1957 की धारा 63 और व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 29 के तहत मामला दर्ज किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका (आपाराधिक) दाखिल की गयी, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण और उसके पश्चात प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट को चुनौती दी है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही अपने चायपत्ती उत्पादों के पंजीकरण के लिए 10.09.2018 को व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार के समक्ष सुधार हेतु आवेदन किया है, जो अभी भी लंबित है। अतः उत्तरदाता क्रमांक 3 द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोधस्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने किसी भी अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है।

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 1 सामान्यतः मुंबई में निवास करते हैं और फिल्म/टेलीविजन क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्हें इस मामले में झूठे आरोप में फंसाया गया है। 'जैन चुस्की'और 'गोयल चुस्की'के रैपर्स की तुलना करने पर अंतर स्पष्ट होता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने दोनों कंपनियों के रैपर्स संलग्न किए हैं। याचिकाकर्ताओं ने अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, रेंज दुर्ग के समक्ष शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

5. उत्तरवादी क्रमांक 3 ने जवाब प्रस्तुत किया है। उत्तरवादी क्रमांक 3 का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा विस्तृत साक्ष्य और जांच की मांग करता है, इसलिए इस समय इस न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करना उचित नहीं होगा और याचिका खारिज की जानी चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के **तेलंगाना राज्य विरूद्ध हबीब(2017) 2 SCC 779** मामले का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि अभियोगपत्र पहले ही दायर की जा चुकी है, याचिकाकर्ताओं के पास धारा 239 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आरोप तय करने के संबंध में अपनी आपत्ति उठाने का अवसर है।अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीयन और आरोप पत्र के दायर किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की जानी चाहिए।

6. राज्य ने भी अपना जवाब प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ताओं को धारा 91 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी कर व्यापार चिन्ह अधिनियम के तहत पंजीकरण से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस द्वारा मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक रूप से व्यापार चिन्ह अधिनियम की धारा 29 और प्रतिलिप्याकार अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध किया गया है। राज्य के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं को आरोपों से उन्मोचित कराने का उपाय है, इसलिए यह रिट याचिका विधि सम्मत नहीं है और तर्कहीन होने के कारण इसे खारिज किया जाना चाहिए।

7. इस न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 15.01.2019 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के समक्ष लंबितदाण्डिक प्रकरण क्रमांक 36770/2018 की कार्यवाही पर रोक लगाई थी। इसके बाद, उत्तरवादी क्रमांक 3 ने न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को निरस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं ने'गोयल चुस्की ट्रेड मार्क'का पंजीकरण रजिस्ट्रार के समक्ष नहीं कराया है, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 ने पहले ही 'जैन चुस्की ट्रेड मार्क'का पंजीकरण करा लिया है, लेकिन उन्होंने पंजीकरण संख्या की जानकारी नहीं दी। यह भी कहा गया कि वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं पर'गोयल चुस्की ट्रेड मार्क'के उपयोग का आरोप लगाया गया है, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 3 'जैन चुस्की ट्रेड मार्क'का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में'एच.एस.जी. याशिका गोयल चुस्की चाय'से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर इस मामले को'एच.एस.जी. याशिका गोयल चुस्की चाय'का रूप दिया है। उत्तरवादी क्रमांक 3 के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा'एच.एस.जी. याशिका गोयल चुस्की चाय'के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन 19.03.2018 को भारत सरकार के व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रार द्वारा खारिज कर दिया गया है।

8. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 'चुस्की'शब्द एक सामान्य शब्द है, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार की रायप्रतिलिप्याकारयाव्यापार चिन्ह अधिनियमके प्रावधानों को प्रभावित नहीं कर सकती, जो यह निर्धारित करती हैं कि किसी भी ऐसे संकेत का उपयोग, जो मूल व्यापार चिन्ह को भ्रमित करने वाला हो, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ताओं का पंजीकरण हेतु आवेदन अंतिम प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। अतःइस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

10. कानूनी तर्कों पर विचार करने से पूर्व, यह उचित होगा कि व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 29 की प्रावधानों का अवलोकन किया जाए, जो पंजीकृत व्यापार चिन्ह के उल्लंघन से संबंधित है। धारा 29 इस प्रकार है:

> **29–** रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों का अतिलंघन–(1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का अतिलंघन उस व्यक्ति द्वारा होता है जो उस व्यापार का रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या अनुज्ञात उपयोग के रूप मेंउपयोग करने वाला व्यक्ति न होते हुए, किसी माल या किन्हीं सेवाओं के संबंध में, जिनकी बाबत वह व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकृत है, किसी ऐसे चिन्ह का, जो उस व्यापार चिन्ह से तद्रूप है या इतना समरुप है कि धोखा हो जाए, व्यापार के अनुक्रम में और इस रीति से उपयोग करता है कि उस चिन्ह के उपयोग का व्यापार चिन्ह के रूप में उपयोग समझे जाने की संभाव्यता हो जाती है ।
>
> (2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का अतिलंघन उस व्यक्ति द्वारा होता है जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या अनुज्ञात उपयोग के रूप में उपयोग करने वाला व्यक्ति न होने पर व्यापार के अनुक्रम में ऐसे चिन्ह का उपयोग करता है जिससे–
>
> (क) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के साथ उसकी तद्रूपता और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत आने वाले माल या सेवओं के साथ समरूपता के कारण; या
>
> (ख) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के साथ उसकी समरूपता और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत आने वाले माल या सेवओं के साथ उसकी तद्रूपता या समरूपता के कारण; या
>
> (ग) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के साथ उसकी तद्रूपता और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अन्तर्गत आने वाले माल या सेवाओं के साथ उसकी तद्रूपता के कारण,
>
> जनसाधारण में भ्रम पैदा होने की संभाव्यता हो या जिसकी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह से सहयोजन होना संभव हो ।
>
> (3) उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन आने वाले किसी मामले में, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उससे जनसाधारण में भ्रम पैदा होना संभाव्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का का अतिलंघन उस व्यक्ति द्वारा होता है, जो रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी या अनुज्ञात उपयोग के रुप में उपयोग करने वाला व्यक्ति न होने पर व्यापार के अनुक्रम में ऐसे चिन्ह का उपायोग करता है, जो–

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के तद्रूरूप है; और

(ख) ऐसे माल या सेवाओं के संबंध में उपयोग किया जाता है जो उनके समरूप नहीं है जिनके लिए व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकृत किया गया है; और

(ग) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह की भारत में ख्याति हो और उस चिन्ह का सम्यक् हेतुक के बिना उपयोग रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के सुभिन्न स्वरूप या ख्याति का अनुचित लाभ प्राप्त करता हो या उसके लिए अहितकर हो ।

(5)किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का अतिलघंन उस व्यक्ति द्वारा होता है यदि वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का उपयोग अपने व्यापार नाम या अपने व्यापार नाम के भागरूप या अपने कारबार समुत्थान के नाम या अपने उस कारबार समुत्थान के नाम के भागरूप करता है जो उस माल या सेवओं की बाबत है जिनके संबंध में व्यापार चिन्ह रजिस्ट्रीकृत है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत चिन्ह का उपयोग तब करता है जब वह विशिष्टतया–

(क) उसे माल या उसके पैकेज के साथ लगाता है;

(ख) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अधीन माल को विक्रय के लिए प्रस्थापित या खुला छोड़ता है, उसे बाजार में लाता है या उन प्रयोजनों के लिए उनका स्टाक करता है या उस रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के अधीन सेवओं की प्रस्थापना या प्रदाया करता है;

(ग) उस चिन्ह के अधीन माल का आयात या निर्यात करता है; या

(घ) रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का कारबार के कागज पत्रों पर या विज्ञापन में उपयोग करता है ।

(7) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का अतिलंघन उस व्यक्ति द्वारा होता है जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का उपयोग ऐसी सामाग्री पर करता है जो माल पर लेबल लगाने या पैकेज के लिए कारबार कागज के रूप में या माल अथवा सेवाओं के विज्ञापन के लिए उपयोग की जानी आशयित है, परन्तु यह तब जब ऐसा व्यक्ति चिन्ह का उपयोग करते समय जानता था या

उसके पास यह विश्वास करने का करण था कि चिन्ह का लगाया जाना स्वत्वधारी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्यक्तः प्राधिकृत नहीं है।

(8) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का अतिलंघन, उस व्यापार चिन्ह के किसी विज्ञापन द्वारा तब होता है, जब ऐसा विज्ञापन, –

(क) औद्योगिक या वाणिज्यिक मामलों में अनुचित लाभ प्राप्त करता है और सद्भाविक पद्धतियों के प्रतिकूल है; या

(ख) सुभिन्न स्वरूप के लिए अहितकर है; या

(ग) व्यापार चिन्ह के ख्याति के विरूद्ध है ।

(9) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह के सुभिन्न तत्वों में या उसके अन्तर्गत शब्द हों वहां उस वहां उस व्यापार चिन्ह का अतिलंघन उन शब्दों के बोलने से तथा उनके दृश्य प्रतिरूपण से हो सकता है और इस धारा मे चिन्ह का अतिलंघन उन शब्दों के बोलने से तथा उनके दृश्य प्रतिरूपण से हो सकता है और इस धारा में चिन्ह के उपयोग के प्रति निर्देश का अर्थतद्नुसार होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित अपराधों का विवरण देती है, जिसका अंश निम्नलिखित है:

"धारा 63: प्रतिलिप्याधिकार या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारोंके अतिलंघन का अपराध—
कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकरअतिलंघन करता है या अतिलंघनमें सहायता करता है—

(अ) किसी कृति में कॉपीराइट, या

(ब)इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कोई अन्य अधिकार, [धारा 53A द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर] छह माह से कम की अवधि के कारावास से कम नहीं होगालेकिन जो तीन वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने के साथ जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपये तक हो सकता है:
किन्तु[जहां उल्लंघन व्यापार या व्यवसाय के दौरान लाभ के लिए नहीं किया गया है] न्यायालय अपने निर्णय में पर्याप्त और विशेष कारणों का उल्लेख करके, छह माह से कम अवधि की कारावास की सजा या पचास हजार रुपये से कम का जुर्माना दे सकती है।"

व्याख्या— किसी भवन या अन्य संरचना का निर्माण जो कॉपीराइट का उल्लंघन करता है या जो पूर्ण होने पर कॉपीराइट का उल्लंघन करेगा, इसधारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

12.उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर इस न्यायालय द्वारा अव धारणीय बिंदु यह है कि क्या प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं ने प्रतिलिप्याकार अधिनियम की धारा 63, ट्रेड मार्क्स अधिनियम की धारा 29 या भारतीय दंड संहिता की धारा 420/34 का उल्लंघन किया है या नहीं? इस बिंदु की जांच करने के लिए एफ.आई.आर. की सामग्री को उद्धृत करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

> "मैं थाना दुर्ग जिला दुर्ग में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं, आज दिनांक 15.09.18 को यशवंत जैन पिता स्व० श्री सोहनलाल जैन निवासी आकृति विहार अमलीडीह रायपुर थाना न्यू राजेन्द्र नगर छत्तीसगढ़ के द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया गया जिस पर हरीश गोयल और भुपेश गोयल के द्वारा रजिस्टर्ड जैन चुस्की चाय ट्रेड मार्क एवं कापी राईट का उल्लंघन कर धोखाधडी करना बताया गया है। प्रार्थी के आवेदन पर धारा 420, 34 भा०द०वि०, धारा 63 कापी राईट एक्ट का अपराध पाये जाने से आरोपियों के विरूद्ध सदर धारा का उपराधारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आवेदन नकल जैल है, प्रति, श्रीमान थाना प्रभारी महोदय थाना सिटी कोतवाली दुर्ग विषयः– हरीश गोयल और भुपेश गोयल के द्वारा मेरे नाम से रजिसटर्ड जैन चुस्की चाय ट्रेड मार्क एवं काफी राईट का उल्लंघन कर धोखाधड़ी किये जाने की रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही किये जाने बाबत। महोदय मैं यशवंत जैन पिता स्व० श्री सोहनलाल जैन निवासी नेहा फैंसी स्टोर के सामने आकृति विहार अमलीडीह रायपुर थाना न्यू राजेन्द्र नगर छत्तीसगढ़ में मेसर्स जैन ट्रेडर्स के नाम से चायपत्ती का व्यापार करता हूं जिसकी मेरे द्वारा विधिवत लायसेंस लिया गया है जिसकी फ्लेवर लायसेंस नंबर एफ 88 दिनांक 02.07.2008 है जिसका ट्रेड मार्क नंबर 2109668 दिनांक 04.03.2011 से है, कापी राईट रजिस्ट्रेशन नंबर ए 87652/2009 से है जिसमें मेरे द्वारा जैन चुस्की चाय ट्रेड मार्क के नाम से 01 रूपये, 02 रूपये, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, एवं 01 किलो आदि रेंज में जैन चुस्की नाम से पैकेटिंग कर पूरे छत्तीसगढ़, उडीसा एवं मध्यप्रदेश में व्यवसाय करता हूं एवं जैन चुस्की चाय के नाम से नियम अनुसार ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराकर एवं कलर डिजाईन एवं लखावट का भी कापी राईट एक्ट के तहत भी रजिस्ट्रेशन करा कर नियम अनुसार व्यवसाय करता हूं । महोदय विगत कुछ दिनों से हरीश गोयल एवं भुपेश गोयल द्वारा गोयल चुस्की चाय की विभिन्न साईज में पैकेटिंग कर हमारे हमारे जैन चुस्की चाय के उपभोक्ता को धोखाधडी पूर्वक ट्रेड मार्क का उल्लघंन करते हुए गयानगर दुर्ग जिला दुर्ग में पैकेटिंग कर व्यवसाय किया जा रहा है। इस प्रकार हरीश गोयल और भूपेश गोयल के द्वारा छल पूर्वक मेरे द्वारा रजिस्टर्ड कराये गये ट्रेड मार्क का उल्लंघन कर मुझे आर्थिक क्षति पहुंचाया जा रहा है । आरोपियों के विरूद्ध कडी से कडी कार्यवाही किया जाये। हस्ताक्षर अस्पष्ट आवेदक यशवंत जैन प्रो० जैन ट्रेडर्स आकृति विहार अमलीडीह रायपुर छत्तीसगढ मोबाईल 9424205071 दिनांक 14.09.18"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रथम दृष्टिया स्थापित होता है कि उत्तरवादि संख्या 3 में यह शिकायत की है कि याचिकाकर्ता 'गोयल चुस्की' के नाम का उपयोग कर रहे है जबकि ट्रेडमार्क अधिनियम तथा प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराईट) अधिनियम के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पंजीकरण नहीं किया गया है। अतः याचिकाकर्ताओं को **'गोयल चुस्की' के ट्रेडमार्क अधिनियम तथा प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराईट) अधिनियम के रजिस्ट्रार (पंजीयक) के पास पंजीयन से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। अपराध में अंवेषण करते समय, जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिकथित है, पुलिस ने उन्हें दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया था, परन्तु याचिकर्ताओं ने 'गोयल चुस्की' के ट्रेडमार्क अधिनियम के रजिस्ट्रार के पास पंजीयन के समर्थन में न तो पुलिस और न ही इस न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किए है। यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपने उत्पाद को गोयल चुस्की चाय के तौर पर पंजीकृत नहीं कराया है। अत : याचिकाकर्ताओं का यह दावा कि गोयल चुस्की पंजीकृत है, गलत पाया जाता है।**

14.याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि 'चुस्की'एक सामान्य शब्द है जो सामान्य व्यवहार में उपयोग होता है, इसलिए 'गोयलचुस्की'शब्द का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। 'चुस्की'शब्द का उपयोग सामाजिक व्यवहार में किया जा सकता है, लेकिन जब इसका उपयोग व्यावसायिक तौर पर व्यापार चिन्ह के रूप में किया जाता है, तो इसे पंजीकृत करना अनिवार्य है। अतःबिना व्यापार चिन्ह के पंजीकरण के 'चुस्की'शब्द का उपयोग व्यापार चिन्ह अधिनियम और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15.याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए**जे० आर० कपूर विरूद्ध माइक्रोनिक्स इंडियाLaws (Bom) 1994 8 28** के निर्णय का हवाला दिया है, जो 10 अगस्त, 1994 को अपील (सिविल) 2253/1994 में सुनाया गया था। वे निर्णय के पैरा 6 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जैसा कि इस निर्णय में कहा गया है, कंप्यूटर क्षेत्र में 'Micro'शब्द एक सामान्य ट्रेड नाम है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि 'Micro'शब्द का उपयोग प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम या व्यापार चिन्ह अधिनियम का उल्लंघन नहीं है।

16.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय**जे० आर० कपूर**(पूर्वोक्त)के पैरा 7 में यह अभिनिर्धारित किया है कि

"7 अवलोकन किये जाने परहमें दोनों विवरणों में कोई उल्लेखनीय समानता नहीं मिली। यह तर्क दिया गया कि उत्तरवादी-वादी ने अपने उत्पाद पर 'Best for Colour Black and White TVs & FM Radio' शब्दों को एक काले आयताकार पृष्ठभूमि में 'White' शब्द के साथ लिखा है, जबकि अपीलकर्ता ने 'For Colour/Black & White TVs and FM Radios' शब्दों का उपयोग किया है। तथापि, हम यह नहीं पाते कि दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने कार्टनों पर इन शब्दों को लिखने के तरीके से खरीददारों को भ्रमित करने या गुमराह करने की कोई संभावना है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि जहां उत्तरवादी-वादी का कार्टन काला और सफेद(Black & White) है, वहीं अपीलकर्ता का कार्टन पूर्णतः रंगीन (Coloured) है।

17.इस प्रकार, **जे० आर० कपूर (पूर्वोक्त)**के मामले के तथ्य भिन्न हैं और इस मामले पर लागू नहीं होते। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं के रैपर्स और उत्तरवादी क्रमांक 3 के रैपर्स में समानता प्रतीत होती है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सहायक नहीं हैं। इस कारण, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि 'चुस्की'को सामान्य बोलचाल में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस समय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता।

18.याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मामले*Macleods Pharmaceuticals Limited Vs. Intas Pharmaceuticals Ltd.* Laws (Bom) 2013 5 42 का भी संदर्भ दिया है, जो 29 मई 2013 को प्रकरण संख्या 768/2011 में निर्णयित हुआ था। उन्होंने निर्णय के पैरा 32 को उद्धृत किया, जो इस प्रकार है:

> "**32.**उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं इस विचार का हूं कि उत्तरवादी संख्या 1 का मार्क 'LETHYROX'वादी के मार्क्स 'THYROX'और 'ANTI THYROX'से धोखे में डालने वाला समान नहीं है। उत्तरवादियों ने अपनी मार्क को आविष्कृत अणु से गढ़ा और निर्मित किया है, इस प्रकार उत्तरवादियों द्वारा इस मार्क को अपनाना ईमानदार, स्वतंत्र और वास्तविक प्रतीत होता है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19.दूसरी तरफ उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं ने 'Chuski'शब्द का उपयोग किया है, वह 'Jain Chuski'से धोखे के समान प्रतीत होता है, जिसे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं नेप्रतिलिप्याधिकार अधिनियमकी धारा 63 औरव्यापार चिन्हअधिनियमकी धारा 29 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध किया है। उनका उद्देश्य अनुचित लाभ प्राप्त करना है, जिससे उत्तरवादी क्रमांक 3 को बिक्री में नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ताओं का यह कृत्य धोखाधड़ीपूर्ण है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत भी अपराध हुआ है। अपने तर्क को समर्थन में उन्होंने*Parle Products (P) Ltd VsJ.P. and Co. Mysore* 1972 AIR 1359 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला दिया, जिसमें निर्णय सुसंगत भाग निम्नानुसार है:

> "यह स्पष्ट है कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या एक चिह्न दूसरे से कपटपूर्ण रूप से समान है, दोनों चिह्नों की समग्र और आवश्यक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए। उन्हें एक साथ रखकर यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि क्या उनमें डिज़ाइन के अंतर हैं और क्या वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि एक को दूसरे से अलग किया जा सके। यदि विवादित चिह्न पंजीकृत चिह्न से इस हद तक समग्र रूप से समान है कि वह किसी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, तो उसे कपटपूर्ण समानता माना जाएगा। इस प्रकरण में, दोनों पैकेटों का आकार लगभग समान है, उनके रैपर का रंग संयोजन लगभग एक जैसा है, और उनका डिज़ाइन भले हीसमान न हो, लेकिन उनमें इतनी अधिक समानता है कि एक को दूसरे

के रूप में आसानी से भ्रमित किया जा सकता है। दोनों के मुख्य तत्व यह हैं कि एक लड़की, जिसका एक हाथ उठा हुआ है और जो दूसरे हाथ में कुछ पकड़े हुए है, पास में गायें या मुर्गियाँ हैं, और पृष्ठभूमि में एक फार्महाउस व बाड़ दिखाई देती है। शीर्ष पर 'Gluco Biscuits'और 'Glucose Biscuits'शब्द प्रमुखता से लिखे गए हैं, जिनमें अत्यधिक समानता है। हमारे मतानुसार, यदि कोई व्यक्ति आज एक पैकेट को देखता है और कुछ समय बाद दूसरा दिखाया जाए, तो वह इसे उसी उत्पाद के रूप में पहचान सकता है, जो उसने पहले देखा था। एक साधारण खरीदार में शरलॉक होम्स जैसी सूक्ष्म अवलोकन शक्ति नहीं होती। अतः, हमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तरवादी का रैपर वादी के पंजीकृत रैपर के साथ कपटपूर्ण समानता रखता है।"

20.उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय *Wyeth Holdings Corporation And... vs. Burnet Pharmaceuticals Pvt.* AIR 2008 Bom 100 के मामले के पैराग्राफ 17 का हवाला दिया है, जो निम्नानुसार हैः-

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"17.जिसमें भ्रमात्मक समानता के प्रश्न पर विचार करते हुए यह कहा गया है कि दो ट्रेडमार्क को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए। मार्क की संरचना और ध्वनि को ध्यान में रखना आवश्यक हैऔर अदालत को इसे आम व्यक्ति की दृष्टि से देखना चाहिए। जब न्यायाधीश ध्वनि पर विचार करते हैं, तो मार्क के उच्चारण के साथ आने वाली ध्वनि वही है जो एक साधारण खरीददार को मिलती है, जो भाषा की सूक्ष्मताओं से अंजान होता है। *FOLV* शब्द संरचनात्मक और ध्वन्यात्मक रूप से इस प्रकार के जोन में आता है, जहां यह याचिकाकर्ताकि मार्क के काफी करीब है, जिससे भ्रम पैदा होता है। याचिकाकर्ताका तर्क है कि*VITE* का उच्चारण 'white'की तरह होना चाहिए जबकि उत्तरवादीका तर्क कि "V"का उच्चारण 'victory'की तरह है, ग्राहकों इतनी सूक्ष्म भिन्नता नहीं कर पाता। औसत ग्राहक जो*FOLVITE* की मांग करता है, वह जब *FOLV* प्राप्त करता है, तो वह भेद को नहीं समझ पाता, और यही भ्रमात्मक समानता का मुद्दा है। एक साधारण ग्राहक जो किसी छोटे औषधि विक्रेता (केमिस्ट) के पास जाता है, उसके लिए 'FOLVITE'और 'FOLV'के बीच का भेद इतना महीन होता है कि वह लगभग महत्वहीन प्रतीत होता है। हो सकता है कि याचिकाकर्ता के पक्ष के चिह्न की देवनागरी लिपि में लेखन शैली 'VITE'को 'white' के समान दर्शाए, परंतु भारत जैसे बहुभाषीय देश में प्रत्येक उपभोक्ता उस लिपि से परिचित नहीं होता। एक औसत उपभोक्ता जो 'FOLVITE' की मांग करता है, जब उसे 'FOLV' नामक टैबलेट की पट्टी दी जाती है, तो वह इस भेद को समझने में विफल हो सकता है, और यही तथ्य कपटपूर्ण समानता के प्रश्न के निर्धारण में मुख्य रूप से विचारणीय है।"

21.उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के मामले*Pidlite Industries Pvt. Ltd. Vs. Mittees Corporation and Anr.*में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 5 का हवाला दिया है, जो निम्नानुसार हैः-

> "**5** इस स्तर पर केवलप्रथम दृष्टया राय बनाना आवश्यक है कि क्या दोनों चिन्ह और कंटेनर भ्रमात्मक रूप से समान हैं या नहीं, और क्या यह औसत ग्राहक के लिए धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है या नहीं और यह भी देखा जाना चाहिए कि सुविधा का संतुलन किस पक्ष में है। "इस संदर्भ में, कुछ स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:- 1.यह प्रत्येक मामले में एक तथ्यात्मक प्रश्न होता है कि क्याप्रश्नागतट्रेडमार्क के उपयोग से धोखा या भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है या नहीं; कोर्ट को औसत ग्राहक की स्थिति में खुद को रखना होता है और यह सवाल करना होता है कि क्या धोखे या भ्रम की संभावना है, और फिर इस आधार पर उत्तर देना होता है। 2.मार्क की तुलना संपूर्ण रूप में की जानी चाहिए। यह सही नहीं है कि शब्द के एक हिस्से को लिया जाए और यह कहा जाए कि चूंकि वह हिस्सा दूसरे मामले के संबंधित हिस्से से भिन्न है, इसलिए भ्रम या धोखा होने की संभावना नहीं है। मार्क की कुलता को देखा जाना चाहिए कि क्या इससे लोगों के दिमाग में भ्रम या धोखा उत्पन्न होने की संभावना है या नहीं। 3.भ्रम या धोखे की संभावना औसत, अचेत ग्राहक के संदर्भ में देखी जानी चाहिए। 4.भ्रम या धोखे की प्रवृत्ति हीअवैध उपयोग की कार्रवाई का मुख्य आधार है, और वादी को वास्तविक धोखे को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22.उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए शब्द 'Chuski'का सामान्य बातचीत में उपयोग होता है या नहीं, और क्या 'Goyal Chuski'शब्द धोखाधड़ीपूर्ण नहीं हैं, यह याचिकाकर्ताओं का बचाव है जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई के दौरान इस अदालत द्वारा जांचा नहीं जा सकता। यह मामला विस्तृत जांच की आवश्यकता रखता है। इसके समर्थन में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के***Priti Saraf and another vs. State of NCT of Delhi and another AIR Online 2021 SCC 148*** मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया है। इस मामले के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नलिखित हैं:

> "**32.**इस मामले में, शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट/अभियोगपत्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर, हमारे विचार में यह नहीं कहा जा सकता कि शिकायत में किसी अपराध का उल्लेख नहीं है। शिकायत/प्रथम सूचना रिपोर्ट/अभियोग पत्र में धारा 406 और 420 भारतीय दण्ड संहिताके अपराधों के तत्व अनुपस्थित होना नहीं कहे जा सकते। हम यह जोड़ना चाहेंगे कि शिकायत में किए गए आरोप सही हैं या नहीं, इसका निर्णय ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल यह कह देना कि सविदा के उल्लंघन के लिए कोई उपचार उपलब्ध है या अपीलकर्ताओं द्वारा मध्यस्थ कार्यवाही शुरू की गई है, इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि केवल सिविल उपचार ही उपलब्ध है, और आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत किसी भी प्रकार से अदालत की

> प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे मामलों में उच्च् न्यायालय द्वारा धारा 482 CrPC के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके कार्यवाही को रद्द करना अनुचित होगा।"

23.याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका में बचाव में उठाए गए तर्क के जो आधार हैं, जिसे इस समय न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च् न्यायालय ने*State of* ***Madhya Pradesh Vs. Kunwar Singh*** **Criminal Appeal No.709/2021 (निर्णय दिनांक 30.07.2021)**मामले में फिर से यह कहा है कि उच्च न्यायालय को उन साक्ष्यों की जांच नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार से ट्रायल कोर्ट आपराधिक ट्रायल के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत होने पर करती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित बात कही है:

> **"8.**अपीलकर्ता और उत्तरवादी की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी अधिकारिता की सीमाओं को लांघते हुए वर्तमान चरण में आरोपों के गुण-दोष पर विचार किया है। यह अविवादित नहीं है कि चेकों पर उत्तरवादी के हस्ताक्षर थे। वास्तव में, इस तथ्य को उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी देनी होती है, उसे सावधानी और जिम्मेदारी का पालन करना अनिवार्य है। 'जननी मोबिलिटी एक्सप्रेस' के कार्यान्वयन के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में की गई अनियमितताओं के बारे में विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं। इस स्तर पर उच्च न्यायालय को इस सामग्री की जांच नहीं करनी चाहिए थी जिस प्रकार से आपराधिक ट्रायल के दौरान विचारणन्यायालय साक्ष्यों के आधार पर करती है। ऐसा करने में, उच्च न्यायालय ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिताके तहत अधिकारिता के प्रयोग की निर्धारित सीमाओं को पार कर लिया है। आरोपों के गुण-दोष पर विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट को विशेष रूप से वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े सार्वजनिक योजना के प्रशासन के मामले में लोक योजना के रूप में नहीं देखा जा सकता। धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अन्वेषण के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने*Kaptan Singh Vs The State Of uttar pradesh and others*Criminal Appeal No.787/2021 (निर्णय दिनांक 13.08.2021) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:-

> **"9.1** प्रारंभ में यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिताके अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय दण्ड संहिताकी धारा 147, 148, 149, 406, 329 और 386 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि जब उच्च न्यायालय ने धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिताके तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया, उस समय तक जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान, शिकायतकर्ता के बयान, घटना स्थल से सबूत इकट्ठा

करने के बाद और स्वतंत्र गवाहों के बयान तथा अभियुक्तों के बयान दर्ज कर लिए थे और IPC की संबंधित धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी थी, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया था। आलोच्य निर्णय और आदेश से यह नहीं लगता कि उच्च न्यायालय ने अन्वेषण/जांच के दौरान एकत्रित सामग्री और दर्ज किए गए बयानों पर विचार किया था। अगर धारा482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका प्रथम सूचनारिपोर्ट दर्ज के चरण में होती, तो केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत में दिए गए आरोपों पर विचार किया जाता और यह देखा जाता कि क्या कोई संज्ञेय अपराध प्रकट हो रहा है या नहीं। हालांकि, जब बयानों को दर्ज किया जाता है, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और अन्वेषण/जांच के बाद अभियोग पत्र दाखिल की जाती है, तब मामला अलग होता है और अदालत को जांच के दौरान एकत्रित सामग्री/सबूतों पर विचार करना होता है। इस चरण में, जैसा कि इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में कहा है, उच्च न्यायालय को अभियोग पत्र के गुण-दोष में नहीं जाना चाहिए और न ही वह आपराधिक प्रक्रिया की तरह काम करना चाहिए।"माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **दिनेशभाई चंदुभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य(पूर्वोक्त)** मामले में यह स्थापित किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की तथ्यात्मक सामग्री से यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संज्ञेय अपराध प्रदर्शित होता है, उच्च न्यायालय न तो जांच एजेंसी की तरह कार्य कर सकता है और न ही अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह भी कहा गया कि इस प्रश्न की जांच करते समय, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री और प्राथमिक साक्ष्य, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस चरण में, उच्च न्यायालय न तो साक्ष्यों की सराहना कर सकता है और न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री और उस पर आधारित सामग्री से अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकता है। विशेष रूप से, जब प्रस्तुत सामग्री विवादित हो, तो ऐसी स्थिति में अन्वेषण प्राधिकरण का कार्य होता है कि वह जांच करे और उसके बाद, आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, न्यायालय यह जांच करता है कि उस सामग्री पर कितना और किस हद तक भरोसा किया जा सकता है।

"9.2*Dhruvaram Murlidhar Sonar* (पूर्वोक्त)के मामले में भजन लाल (पूर्वोक्त) के मामले को उद्धरित करते हुएइस न्यायालय ने कहा है कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिताके तहत कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार एक अपवाद है, न कि एक सामान्य नियम। यह भी कहा गया है कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिताके अंतर्गत निहित अधिकार, यद्यपि व्यापक है, सावधानीपूर्वक और परीक्षणों के तहत ही प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल तभी जब धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा यह उचित हो। इसके अलावा, यह देखा गया कि धारा 482 के तहत शक्तियों का उपयोग करते समय साक्ष्यों का मूल्यांकन स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार के दृष्टिकोण को न्यायालय ने **अरविंद खन्ना (पूर्वोक्त), मनागीपेट (पूर्वोक्त)**और **एक्स वाई जेड(पूर्वोक्त)** मामलों में भी व्यक्त किया है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "**9.3** उपरोक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारा मत है कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक किया है।

25.उपरोक्त चर्चाओं, विधिक प्रावधानों और अभिलेख में मौजुद तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 'चुस्की'शब्द का प्रयोग किया गया, जो प्रथम दृष्टया प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम और व्यापार चिन्ह अधिनियम का उल्लंघन करता है। इसलिए, प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्टके पंजीयन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करता हो।

26.उपरोक्त चर्चाओं के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान रिट याचिका (आपराधिक) खारिज किए जाने योग्य है और इसे खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करेऔर इस रिट याचिका (आपराधिक) के निर्णय के दौरान इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित न हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहा हैऔर याचिकाकर्ता या उत्तरवादियों द्वारा उठाए गए तर्क खुले छोड़ दिए गए हैं। विचारण न्यायालय साक्ष्यों, दस्तावेजों और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की जांच कर उनकी प्रामाणिकता या सत्यता का निर्णय करेगा। तथ्यों पर विचार केवल वर्तमान मामले के निर्णय हेतु किया गया है।

27.वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

सही/-
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur